फर्द अहकाम

न्यायालयः–सिविल न्यायाधीश, फतेहपुर जिला सीकर

अतुलला बनाम राजु उर्फ राजेन्द्र वगैरा

दीवानी विविध प्रकरण सं. 43/2025 (टीआई)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील
28.03.2026	प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश भातरा उपस्थित। अप्रार्थी संख्या–1 के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश चौधरी व अप्रार्थी संख्या–6 के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज छकड़ा उपस्थित। अप्रार्थी संख्या–2 ता 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही है। इस आदेशिका द्वारा प्रार्थी के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है जिसकी बहस सुनी जा चुकी है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र हेतु न्यायालय को निम्न तीन बिन्दुओं पर अपना विनिश्चय देना है– 1– प्रथम दृष्टया मामला। 2–सुविधा का सन्तुलन। 3–अपूर्णनीय क्षति। उपरोक्त बिन्दुओं पर क्रमवार न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार से है– **<u>1– प्रथम दृष्टया मामला</u>** दोनो पक्षों को सुने जाने के पश्चात इस संबंध में न्यायालय का निष्कर्ष यह है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या-2 में वर्णित विवादित सम्पति को प्रार्थी ने मनकोरी देवी की पटटेशुदा सम्पति होकर अपने दादा युसुफ पुत्र अहमद भुरान खोखर द्वारा जरिये इकरारनामा दिनांक 01.06.1992 के क्रयशुदा होकर अपने वैध व स्थापित कब्जे की सम्पति होना अभिवचित किया है, वही इसके विपरीत अप्रार्थीगण का यह पक्षकथन रहा है कि विवादित सम्पति से प्रार्थी का कोई संबंध सरोकार नहीं है , बल्कि यह बालाजी मंदिर व शिवजी मंदिर के अधीन आने वाली सार्वजनिक सम्पति/ सार्वजनिक चौक की भूमि है जिस पर प्रार्थी या किसी अन्य का हक अधिकार नहीं है। इस प्रकरण में प्रस्तुत अभिवचनों से यह एक सदभाविक विचारण योग्य प्रश्न अंतर्वलित होना पाया जाता है कि- **''आया प्रार्थना पत्र की मद संख्या-2 में वर्णित विवादित भूखण्ड वादी के दादा युसुफ का क्रयशुदा भूखण्ड होकर वादी के वैध व स्थापित कब्जे का भूखण्ड है?''** क्रमशः-------2	

इस विचाणीय बिन्दू का निर्धारण मूल वाद में उभयपक्षों की साक्ष्य अभिलिखित कर निर्णय के माध्यम से ही किया जाना संभव है। इस कारण इस प्रकरण की विवाद वस्तु के परिरक्षण हेतु दोनो पक्षों को इसके मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना यह न्यायालय न्यायोचित पाता है।

अतः प्रथम दृष्टया मामला इसीनुसार प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है।

2–सुविधा का सन्तुलन।

3–अपूर्णनीय क्षति ।

उक्त दोनो बिन्दुओं का निस्तारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। चूंकि प्रथम दृष्टया मामला उक्तानुसार प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया गया है। इस कारण प्रकरण में विवादित भूखण्ड को किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार से दीगर व्यक्ति को अंतरित कर दिया जाता है तो प्रतिपक्षी को ऐसे अंतरिती के विरूद्ध ना चाहते हुए भी मुकदमेंबाजी में रत होना पड़ेगा, जिससे प्रकरण में अनावश्यक पेचिदगियां उत्पन्न होगी व वाद बाहुल्यता की स्थिति उत्पन्न होगी। इससे अन्तरणकर्ता की तुलना में प्रतिपक्षी को ही तुलनात्मक रूप से अधिक असुविधा व अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः उक्त दोनो बिन्दू उक्तानुसार प्रार्थी के पक्ष तय किये जाते हैं।

चूंकि उक्त तीनों बिन्दू उक्तानुसार आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में तय किये गये हैं।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा 151 सीपीसी निम्नप्रकार से स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

–आदेश–

अतः प्रार्थी अतुलला की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश–39 नियम 1 व 2 व धारा–151 सीपीसी विरूद्ध अप्रार्थी राजू उर्फ राजेन्द्र व अन्य के उपरोक्तानुसार आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर उभयपक्षों को ता–फैसला मूल वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे प्रकरण की विवादित सम्पति के मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैशलशुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

(अजय कुमार पूनियां)
सिविल न्यायाधीश, फतेहपुर
जिला सीकर